 भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 713

जिसका उत्तर शुक्रवार, 8 फरवरी, 2019 को दिया जाना है

**लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए आईटी समर्थित योजना**

**+713. श्री राम नाथ ठाकुर :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के निचले और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए आईटी समर्थित योजना के कार्यान्वयन पर विचार किया है ;

(ख) क्या देश के किसी भी भाग में उक्त योजना के प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वयन के बाद इस योजना की पात्रता के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है ; और

(ग) विगत तीन वर्ष़ों के दौरान निपटाए गए लंबित मामलों सहित वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या क्या है और इनका निपटान कब तक होने की योजना है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) :** सरकार, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के सहयोग से संपूर्ण देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी समर्थता के लिए ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना कार्यान्वित कर रही है । न्यायालयों के कार्यकरण में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं :-

1. ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना चरण-1 वर्ष 2011-2015 के दौरान कार्यान्वित किया गया था । चरण-1 की समाप्ति पर, 14,249 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के कुल लक्ष्य में से, सभी 14,249 न्यायालयों (100%) के लिए स्थल कंप्यूटरीकरण हेतु तैयार कर दिए गए थे जिनमें से 13,643 न्यायालयों में स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (लैन) संस्थापित किया गया था, 13,436 न्यायालयों में हार्डवेयर उपलब्ध कराए गए थे और 13,672 न्यायालयों में सॉफ्टवेयर संस्थापित किए गए थे । 14,309 न्यायिक अधिकारियों को लैपटॉप उपलब्ध कराए गए थे और सभी उच्च न्यायालयों में परिवर्तन प्रबंध प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी । 14,000 से अधिक न्यायिक अधिकारियों को यूबीयूएनटीयू-लाइनक्स प्रचालन प्रणाली का उपयोग करते हुए प्रशिक्षण दिया था और 4000 से अधिक न्यायालय कर्मचारिवृंद को मामला सूचना तंत्र (सीआईएस) में तंत्र प्रशासकों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है । वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा 488 न्यायालय परिसरों और 342 तत्समान कारागारों के बीच प्रचालित की गई थी ।
2. ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना चरण-2 चार वर्ष (2015-19) की अवधि के लिए या परियोजना के पूरे होने तक, जो भी पश्चातवर्ती हो, कार्यान्वित की जा रही है। दूसरे चरण में 1670 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के मुकाबले में, 931.31 करोड़ रुपए उच्च न्यायालयों को जारी किए गए हैं और उच्च न्यायालयों द्वारा 632.30 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है ।
3. 16,845 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण कंप्यूटर हार्डवेयर, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (लैन) की व्यवस्था और जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में मानक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संस्थापन के माध्यम से पूरा कर लिया गया है । विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीन कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के ब्यौरे **उपाबंध-1** पर हैं ।
4. चरण-2 के दौरान, आज तक, 172 करोड़ इलैक्ट्रानिक संव्यवहार ई-ताल पोर्टल के माध्यम से ई-न्यायालयों के लिए लेखबद्ध किए गए हैं । इस प्रकार, ई-न्यायालय संव्यवहार का भारत सरकार की सर्वोच्च पहुंच सेवाओं में से एक सेवा के रूप में आविर्भाव हुआ है ।

**(ख) :** आईसीटी अभिनियोजन का निर्धारण करने के लिए ई-न्यायालय परियोजना चरण-1 (2010-2015) का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया था ।

**(ग) :** राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ा ग्रिड (एनजेडीजी) की वेब-पोर्टल के अनुसार, तीन वर्षों (2014, 2015 और 2016) के दौरान जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में निपटाए गए मामलों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरे **उपाबंध-2** में दिए गए हैं । वर्ष 2017 और वर्ष 2018 के लिए आंकड़े राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ा ग्रिड की वेब-पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है ।

राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ा ग्रिड (एनजेडीजी) की वेब-पोर्टल के अनुसार, 05.02.2019 तक, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरे **उपाबंध-3** में दिए गए हैं ।

न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द और भौतिक अवसंरचना, अन्तर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् विधिज्ञ, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों, वादकारियों का सहयोग और नियमों तथा प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित है । सम्बन्धित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है ।

तथापि, सरकार मामलों के त्वरित निपटान के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामले के त्वरित निपटान के लिए एक पारिस्थितकी तंत्र उपलब्ध कराने के लिए अनेक पहलें की हैं । सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन ने विभिन्न कार्यनीतिक पहलें, जिनके अन्तर्गत, न्यायालयों के लिए अवसंरचना में सुधार करना, बेहतर न्याय परिदान के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उत्तोलन और उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त स्थानों को भरना भी हैं, के माध्यम से न्यायिक प्रशासन में बकाया मामलों और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है । न्यायपालिका के कार्यकरण को अधिक दक्ष बनाने के लिए विभिन्न पहलों के अधीन गत चार वर्षों के दौरान मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :-

**(i) जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार करना :-** आज की तारीख तक, 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास सम्बन्धी केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के आरम्भ होने के समय से ही 6670.12 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं । इसमें से, अप्रैल, 2014 से राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को 3225.82 करोड़ रुपए (जो आज तक जारी की गई कुल रकम का 48.36% है) जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय हॉलों की संख्या 30.06.2014 को 15818 से बढ़कर आज की तारीख तक 18796 हो गई है और आवासीय यूनिटों की संख्या 30.06.2014 को 10211 से बढ़कर आज की तारीख तक 16652 हो गई है । इसके अतिरिक्त 2925 न्यायालय हॉल और 1756 आवासीय यूनिट निर्माणाधीन हैं । केन्द्रीय सरकार ने, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि अर्थात् 01.04.2017 से 31.03.2020 से आगे स्कीम की निरंतरता का अनुमोदन कर दिया है जिसमें 3320 करोड़ रुपए का प्राक्कलित अतिरिक्त परिव्यय अन्तर्वलित है ।

**(ii) उन्नत न्याय परिदान के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उत्तोलन :-** सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी समर्थता के लिए संपूर्ण देश में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना कार्यान्वित कर रही है । वर्ष 2014 से वर्ष 2018 के दौरान कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या 13672 से बढ़कर 16845 हो गई है जिसमें 3173 की वृद्धि दर्ज की गई है । मामला सूचना सॉफ्टवेयर का नया और उपभोक्ता अनुकूल रूपांतर विकसित किया गया है और उसे सभी कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अभिनियोजित किया गया है । सॉफ्टवेयर में क्यूआर कोड सुविधा प्रचालित कर दी गई है जिससे मामले की वर्तमान प्रास्थिति की जांच की जा सकती है । राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ा ग्रिड (एनजेडीजी) नागरिकों को मामले के फाइल किए जाने मामले की प्रास्थिति तथा ऐसे जिला और अधीनस्थ न्यायालयों, जो पहले ही कंप्यूटरीकृत कर दिए गए हैं, से आदशों और निर्णयों की इलेक्ट्रानिक प्रतियों के बारे में ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराती है । 10.97 करोड़ मामलों, जिनमें 3 करोड़ से अधिक लंबित मामले और 8.24 करोड़ से अधिक आदेश और निर्णय भी हैं, इस पोर्टल पर उपलब्ध हैं । ई-न्यायालय सेवाएं, जैसे मामला रजिस्ट्रीकरण, वाद सूची, मामला प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे, ई-न्यायालय वेब-पोर्टल सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केन्द्रों, ई-न्यायालय मोबाइल ऐप, ई-मेल सेवा, एसएमएस, पुश एण्ड पुल सेवाओं के माध्यम से वादियों और अधिवक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती हैं । वकीलों और वादियों को वाद सूचियों सम्बन्धी न्यायिक जानकारी और अन्य मामला सम्बद्ध जानकारी का प्रसार करने के लिए सभी कंप्यूटरीकृत न्यायालय परिसरों में सूचना स्टॉल स्थापित किए गए हैं । ई-न्यायालय परियोजना देश की शीर्ष 5 मिशन मोड परियोजनाओं में संगत रुप से रही है ।

**(iii) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त स्थानों का भरा जाना :-**

01.01.2014 से 31.12.2018 तक, उच्चतम न्यायालय में 27 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी । उच्च न्यायालयों में 446 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी और 379 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या भी मई, 2014 में 906 से बढ़ाकर वर्तमान में 1079 हो गई है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **निम्नलिखित तारीख तक** | **स्वीकृत पद संख्या** | **कार्यरत पद संख्या** |
| 31.12.2013 | 19,518 | 15,115 |
| 31.12.2013 | 22,833 | 17,701 |

**(iv) बकाया मामला समितियों के माध्यम से लंबित मामलों में कमी/उनके द्वारा अनुवर्तन:-**

इसके अतिरिक्त, अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच से अधिक वर्षों से लंबित मामलों को निपटाने के लिए 24 उच्च न्यायालयों में बकाया मामला समितियां गठित की गई हैं । बकाया मामले समितियों का गठन भी जिला न्यायाधीशों के अधीन किया गया है । बकाया मामले समिति का उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में मामले की लंबित संख्या को कम करने के लिए उपाय तैयार करने हेतु गठन किया गया है ।

**(v)**  **न्यायमित्र स्कीम :-** न्यायालयों में दस से अधिक वर्षों से लंबित मामलों को कम करने के लिए, सरकार ने अप्रैल, 2017 में न्यायमित्र स्कीम आरम्भ की है । इस स्कीम के अधीन, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को दस से अधिक वर्षों से लंबित मामलों के शीघ्र निपटान को सुकर बनाने के लिए विनियोजित और पदाभिहीत किया गया है । पहले चरण में 15 न्यायमित्रों को राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के 15 जिलों में विनियोजित किया गया है ।

**(vi) अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) पर बल :-** वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग (संशोधन) अधिनियम, 2018, 20 अगस्त, 2018 को अधिनियमित कर दिया गया है जिसके द्वारा वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए अज्ञापक पूर्व संस्थन मध्यस्था तंत्र आरम्भ किया गया है। माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्तम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन समय-सीमाएं विहित करके विवादों का शीघ्र त्वरित समाधान करने के लिए किया गया है। माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2018 लोकसभा द्वारा 10.08.2018 को पारित किया गया था, जो अन्य बातों के साथ-साथ, अनुकल्पी विवाद समाधान क्षेत्र में माध्यस्थम संस्थाओं को श्रेणीकृत करने, मध्यस्थों को प्राधिकृत करने और प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु भारतीय माध्यस्थम परिषद् का गठन करने के लिए है ।

**(vii) विशेष प्रकार के मामलों के त्वरित निपटान हेतु पहल :-** चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जघन्य अपराधों के मामलों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि को अन्तर्वलित करने वाले मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना करना भी सम्मिलित है, और राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 32% से 42% वर्धित कर न्यागमन के रूप में दी गई अतिरिक्त राजकोषीय व्यवस्था का उपयोग करें । वर्तमान में, संपूर्ण देश में 731 ऐसे त्वरित न्यायालय कार्य कर रहे हैं । निर्वाचित संसद सदस्यों/विधानसभा सदस्यों को अन्तर्वलित करने वाले दांडिक मामलों का त्वरित निपटान करने के लिए ग्यारह (11) राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली) में बारह (12) विशेष न्यायालय गठित किए गए हैं और सरकार द्वारा इन राज्यों को आनुपातिक निधियां जारी की गई हैं । भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, दंड प्रक्रिया, संहिता, 1973 और लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में संशोधन करने के लिए दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018, 11 अगस्त, 2018 को अधिनियमित किया गया है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

उपाबंध-1

**राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 713, जिसका उत्तर तारीख 08.02.2019 को दिया जाना है, का निर्दिष्ट विवरण**

**कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का Details of computerised district and subordinate courts ब्यौरा**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Name of the High Courtउच्च न्यायालय का नाम** | **No. of computerised subordinate courtsकम्प्यूटरीकृत अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या** |
|  | Allahabadइलाहाबाद | 20722072 |
|  | Andhra Pradeshआंध्र प्रदेश   & Telanganaऔर तेलंगाना | 10781078 |
|  | Bombayबंबई | 20792079 |
|  | Calcuttaकलकत्ता | 811811 |
|  | Chattisgarhछत्तीसगढ़ | 357357 |
|  | Delhiदिल्ली | 427427 |
|  | Gauhatiगुवाहाटी | 496496 |
|  | Gujaratगुजरात | 11081108 |
|  | Himachal Pradeshहिमाचल प्रदेश | 119119 |
|  | Jammu And Kashmirजम्मू - कश्मीर | 218218 |
|  | Jharkhandझारखंड | 351351 |
|  | Karnatakaकर्नाटक | 897897 |
|  | Keralaकेरल | 486486 |
|  | Madrasमद्रास | 10321032 |
|  | Madhya Pradeshमध्य प्रदेश | 12931293 |
|  | Manipurमणिपुर | 3737 |
|  | Meghalayaमेघालय | 3939 |
|  | Orissaओडिशा | 534534 |
|  | Patnaपटना | 10251025 |
|  | Punjab And Haryanaपंजाब और हरियाणा | 10181018 |
|  | Rajasthanराजस्थान | 10941094 |
|  | Sikkimसिक्किम | 1919 |
|  | Uttarakhandउत्तराखंड | 186186 |
|  | Tripuraत्रिपुरा | 6969 |
|  | Totalकुल | 1684516,845 |

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**Annexure - II** उपाबंध-2

**राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 713, जिसका उत्तर तारीख 08.02.2019 को दिया जाना है, का निर्दिष्ट विवरण**

**Details of number of cases disposed in District and Subordinate Courts during 3 years (2014, 2015 and 2016).3 वर्ष (2014, 2015 और 2016) के दौरान जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में निपटाए गए मामलों की संख्या का ब्यौरा**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sl.क्र.सं.** **N** | **Name of the State / UTराज्य / संघ-राज्य-क्षेत्र का नाम** | **Disposal of casesमामलों का निपटान** | **Disposal of casesमामलों का निपटान** | **Disposal of casesमामलों का निपटान** |
| **20142014** | **20152015** | **20162016** |
| 11 | **Andhra Pradesh and Telanganaआंध्र प्रदेश और तेलंगाना** | 6,47,1306,47,130 | 6,58,7136,58,713 | 6,03,0176,03,017 |
| 22 | **Arunachal Pradeshअरुणाचल प्रदेश** | 7,6157615 | 3,5883588 | 4,3844384 |
| 33 | **Assamअसम** | 2,76,1382,76,138 | 2,72,5382,72,538 | 2,51,1192,51,119 |
| 44 | **Biharबिहार** | 3,05,5833,05,583 | 2,92,6782,92,678 | 3,44,6833,44,683 |
| 55 | **Chhattisgarhछत्तीसगढ़** | 1,76,1441,76,144 | 1,95,1741,95,174 | 1,95,4951,95,495 |
| 66 | **Goaगोवा** | 30,62530,625 | 34,76534,765 | 34,13034,130 |
| 77 | **Gujaratगुजरात** | 11,32,43311,32,433 | 10,93,66410,93,664 | 15,86,92615,86,926 |
| 88 | **Haryanaहरियाणा** | 5,87,3855,87,385 | 5,42,4405,42,440 | 5,93,1325,93,132 |
| 99 | **Himachal Pradeshहिमाचल प्रदेश** | 4,09,7324,09,732 | 1,94,8031,94,803 | 2,17,5682,17,568 |
| 1010 | **Jammu & Kashmirजम्मू - कश्मीर** | 2,97,5072,97,507 | 87,68787,687 | 98,63898,638 |
| 111 1 | **Jharkhandझारखंड** | 1,10,0681,10,068 | 1,18,8451,18,845 | 1,04,2841,04,284 |
| 1212 | **Karnatakaकर्नाटक** | 13,67,04113,67,041 | 12,09,12712,09,127 | 10,79,58610,79,586 |
| 1313 | **Keralaकेरल** | 13,55,92613,55,926 | 13,38,44313,38,443 | 11,93,99611,93,996 |
| 1414 | **Madhya Pradeshमध्य प्रदेश** | 11,13,38211,13,382 | 10,73,58410,73,584 | 7,84,0777,84,077 |
| 1515 | **Maharashtraमहाराष्ट्र** | 15,36,32215,36,322 | 16,49,18716,49,187 | 22,81,02722,81,027 |
| 1616 | **Manipurमणिपुर** | 14,25714,257 | 7,3957395 | 6,5886588 |
| 1717 | **Meghalayaमेघालय** | 11,69111,691 | 9,2159215 | 11,39611,396 |
| 1818 | **Mizoramमिजोरम** | 10,74710,747 | 10,35510,355 | 10,90610,906 |
| 1919 | **Nagalandनागालैंड** | 3,0473,047 | 4,8264826 | 4,2154,215 |
| 2020 | **Odishaओडिशा** | 4,70,0854,70,085 | 4,08,2614,08,261 | 4,69,5714,69,571 |
| 2121 | **Punjabपंजाब** | 5,49,3005,49,300 | 5,78,6815,78,681 | 6,05,3246,05,324 |
| 2222 | **Rajasthanराजस्थान** | 11,32,02811,32,028 | 13,71,76213,71,762 | 8,16,1298,16,129 |
| 2323 | **Sikkimसिक्किम** | 2,0082,008 | 1,7251,725 | 2,1422,142 |
| 2424 | **Tamil Naduतमिलनाडु** | 16,45,32916,45,329 | 11,51,34911,51,349 | @10,43,172@ 10,43,172 |
| 2525 | **Tripuraत्रिपुरा** | 1,93,0031,93,003 | 1,92,0811,92,081 | 67,38567,385 |
| 2626 | **Uttar Pradeshउत्तर प्रदेश** | 31,82,31831,82,318 | 33,13,42433,13,424 | 36,18,46036,18,460 |
| 2727 | **Uttarakhandउत्तराखंड** | 2,20,6602,20,660 | 2,00,9472,00,947 | 1,75,4641,75,464 |
| 2828 | **West Bengal and A & N Islandपश्चिमी बंगाल और अंदमान और निकोबार द्वीप** | 10,89,30910,89,309 | 10,99,74310,99,743 | 10,59,64110,59,641 |
| 2929 | **Chandigarhचंडीगढ़** | 1,80,6161,80,616 | 1,45,9901,45,990 | 1,43,5201,43,520 |
| 3030 | **D & N Haveli and Daman & Diuदादर और नागर हवेली और दमण और दीव** | 2,7712,771 | 3,3233,323 | 3,8103,810 |
| 3131 | **Delhiदिल्ली** | 9,30,7329,30,732 | 6,12,5536,12,553 | 6,18,6186,18,618 |
| 3232 | **Lakshadweepलक्षद्वीप** | 9595 | 280280 | 269269 |
| 3333 | **Puducherryपुडुचेरी** | 28,63128,631 | 20,40920,409 | @@ |
|  | **Totalकुल** | **1,90,19,6581,90,19,658** | **1,78,97,5551,78,97,555** | **1,80,28,6721,80,28,672** |

@Figures of Tamilnadu and Puducherry are combined in respect of the year 2016@ तमिलनाडु और पुडुचेरी के आंकड़े वर्ष 2016 के संबंध में संयुक्त हैं

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**Annexure – III** उपाबंध-3

**राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 713, जिसका उत्तर तारीख 08.02.2019 को दिया जाना है, का निर्दिष्ट विवरण**

**Casespending in District and Subordinate Courts as on 05.02.2019. 05.02.2019 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित** **मामले** **।**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S No.क्र.सं.** | **Stateराज्य** | **Totalकुल** |
|  | Andhra Pradeshआंध्र प्रदेश | 537926537,926 |
|  | Assamअसम | 293822293,822 |
|  | Biharबिहार | 25990792599079 |
|  | Chandigarhचंडीगढ़ | 4457444,574 |
|  | Chhattisgarhछत्तीसगढ़ | 266468266,468 |
|  | Delhiदिल्ली | 735176735,176 |
|  | Diu and Damanदीव और दमण | 21452145 |
|  | Dadra and Nagar Haveliदादर और नागर हवेली | 34173417 |
|  | Goaगोवा | 5056450,564 |
|  | Gujaratगुजरात | 16683471668347 |
|  | Haryanaहरियाणा | 748455748,455 |
|  | Himachal Pradeshहिमाचल प्रदेश | 263166263,166 |
|  | Jammu and Kashmirजम्मू - कश्मीर | 166268166,268 |
|  | Jharkhandझारखंड | 363556363,556 |
|  | Karnatakaकर्नाटक | 12930021293002 |
|  | Keralaकेरल | 11723711172371 |
|  | Madhya Pradeshमध्य प्रदेश | 14077531407753 |
|  | Maharashtraमहाराष्ट्र | 36014933601493 |
|  | Manipurमणिपुर | 99669966 |
|  | Meghalayaमेघालय | 71027102 |
|  | Mizoramमिजोरम | 37743774 |
|  | Orissaओडिशा | 11566871156687 |
|  | Punjabपंजाब | 607063607,063 |
|  | Rajasthanराजस्थान | 15233011523301 |
|  | Sikkimसिक्किम | 13021302 |
|  | Tamil Naduतमिलनाडु | 11199141119914 |
|  | Telanganaतेलंगाना | 523202523,202 |
|  | Tripuraत्रिपुरा | 2297322973 |
|  | Uttar Pradeshउत्तर प्रदेश | 71518977151897 |
|  | Uttarakhandउत्तराखंड | 237666237,666 |
|  | West Bengalपश्चिमी बंगाल | 22240142224014 |
|  | **Total Pending Casesकुल लंबित मामले** | **2980644329806443** |

**Source: National Judicial Data Grid.स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***